

वाहन मुक्त क्षेत्र (Vehicle Free Zone) आर.डी.सी., राजनगर के संचालन हेतु लाइसेंस दिए जाने सम्बन्धी नियम व शर्तः—

1. Vehicle Free Zone को 3 वर्ष की अवधि हेतु संचालन के लिये लाइसेंस जारी किया जायेगा। अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् पुनः निविदा/बोली के माध्यम से आवंटित किया जायेगा।
2. स्वीकृत निविदा/बोली की धनराशि (वार्षिक किराया) आवंटन की तिथि से एक माह के अन्दर जमा कराकर अनुबन्ध/लाइसेंस डीड निष्पादन कराने के उपरान्त स्थल का कब्जा दिया जायेगा। अनुबन्ध की तिथि से 1 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने से पूर्व आगामी वर्ष के लिये वार्षिक लाइसेंस शुल्क 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ अग्रिम प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। यही प्रक्रिया 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रत्येक वर्ष लागू रहेगी।
3. अनुबन्ध निष्पादन के समय रु० 10 लाख की जमानत राशि एफ०डी०आर० के रूप में विभाग में जमा करनी होगी, जो अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त Vehicle Free Zone का संतोषजनक स्थिति में प्राधिकरण को कब्जा वापस हस्तगत करने पर अवमुक्त की जायेगी। एफ०डी०आर० उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक होगी।
4. स्वीकृत निविदा/बोली की धनराशि पर 18 प्रतिशत जी०एस०टी० अलग से प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
5. अनुबन्ध की अवधि में Vehicle Free Zone का समुचित रख-रखाव, किसी भी प्रकार की टूट-फूट आदि की मरम्मत अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर करानी होगी। इसमें प्राधिकरण द्वारा अनुबन्धकर्ता के स्तर पर कोई कमी पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा उस कमी को स्वयं दूर कराया जायेगा, जिस पर आने वाले वास्तविक व्यय की वसूली अनुबन्धकर्ता की जमानत राशि से अथवा अन्य विधिक प्रक्रिया द्वारा की जायेगी।
6. Vehicle Free Zone की सफाई व्यवस्था उच्च कोटि की होगी, जो अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने व्यय पर सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु समुचित मैन पॉवर व सामग्री, T & P आदि की अनुबन्धकर्ता को स्वयं के व्यय पर व्यवस्था करनी होगी।
7. Vehicle Free Zone में आने वाले जनसामान्य से किसी भी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क आदि नहीं लिया जायेगा।
8. Vehicle Free Zone में समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबन्धकर्ता द्वारा 24 x 7 पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित गार्ड्स की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित की जायेगी।
9. कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अनुबन्धकर्ता का कर्मचारी हो अथवा कोई अन्य व्यक्ति, Vehicle Free Zone में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। स्थल पर हैंड सैनीटाइजर आदि की समुचित व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित करनी होगी।
10. Vehicle Free Zone में लगी सभी लाइट्स, फव्वारा, ऑडियो सिस्टम आदि का समुचित रख-रखाव करते हुए इनका यथा समय प्रतिदिन भली प्रकार संचालन करना होगा। कोई खराबी आदि होने पर अधिकतम तीन दिन के अंदर उसे ठीक कराना होगा, अन्यथा रु० 10,000.00 प्रतिदिन अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
11. ऑडियो सिस्टम में किसी प्रकार की विवादास्पद/धार्मिक/साम्प्रदायिक/भड़काऊ/अश्लील सामग्री/गाने प्रसारित नहीं किये जायेंगे। Vehicle Free Zone के समस्त क्षेत्र (क्योस्क सहित) में ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जायेगा, जिससे धार्मिक/साम्प्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। क्षेत्र में शोर का स्तर (Noise Level) निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये।

12. Vehicle Free Zone में विद्युत आपूर्ति हेतु पॉवर कॉरपोरेशन से जारी विद्युत बिलों का भुगतान अनुबन्धकर्ता को स्वयं करना होगा।

13. यदि Vehicle Free Zone के संचालन में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/नगर निगम अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा कोई भी अन्य कर/शुल्क/अर्थ दण्ड आरोपित किया जाता है तो उसकी समस्त देनदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।

14. अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध को निरस्त करते हुए जमानत राशि को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जब्त कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में अनुबन्धकर्ता को तत्काल स्थल का कब्जा संतोषजनक स्थिति में प्राधिकरण को वापस हस्तगत करना होगा।

15. अनुबन्धकर्ता को स्थल पर किसी भी प्रकार के व्यवसायिक विज्ञापन करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु अनुबन्धकर्ता स्थल पर किसी एक जगह अपने नाम का एक छोटा बैनर/बोर्ड आदि लगा सकते हैं। इसी प्रकार Kiosk/Stall चलाने वाले व्यक्ति सम्बन्धित Kiosk/Stall पर एक छोटा बैनर/बोर्ड लगा सकते हैं।

16. यदि प्राधिकरण द्वारा किसी समय यह पाया जाता है कि स्थल पर ऐसी क्षति हुई है जिसकी मरम्मत आदि पर ₹० 10 लाख से अधिक का व्यय आ सकता है तो प्राधिकरण द्वारा जमानत राशि जब्त करने के अतिरिक्त अनुबन्धकर्ता के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र (R.C.) जारी करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से धनराशि की वसूली करने पर विचार किया जायेगा, किन्तु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व अनुबन्धकर्ता को 10 दिन का समय दिया जायेगा कि वो इस अवधि में स्थल पर आवश्यक मरम्मत आदि करा लें, ताकि उपरोक्त कार्यवाही की आवश्यकता न पड़े।

17. निर्धारित अवधि में अग्रिम वार्षिक लाइसेंस शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह अनुबन्धकर्ता की जमानत राशि जब्त करते हुए अनुबन्ध को निरस्त कर सकते हैं तथा ऐसी स्थिति में अनुबन्धकर्ता को स्थल का कब्जा संतोषजनक स्थिति में प्राधिकरण को तत्काल वापस हस्तगत करना होगा।

18. प्राधिकरण को अधिकार होगा कि अनुबन्धकर्ता पर नियमानुसार बनने वाली किसी भी देयता की कटौती/वसूली जमानत राशि से कर सकता है।

19. Solid Waste Management Rules-2016 सहित पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी समस्त नियमों एवं निर्देशों का पूर्णतः पालन करना अनुबन्धकर्ता का दायित्व होगा।

20. स्थल पर लगे सभी पेड़-पौधे एवं घास को अच्छी अवस्था में बनाये रखना अनुबन्धकर्ता का दायित्व होगा।

21. किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश स्थल पर पूर्णतः निषेध होगा।

22. अनुबन्ध विलेख पर आने वाला समस्त व्यय निविदादाता/बोलीदाता को वहन करना होगा तथा अनुबन्ध विलेख के निष्पादन के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा स्थल का कब्जा अनुबन्धकर्ता को हस्तगत किया जायेगा।

23. यह कि किसी भी स्थिति में दोनों पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सौंपा जायेगा, जिसे या तो वो स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति का आर्बीट्रेटर नियुक्त करके निर्णय देने हेतु निर्देशित कर सकेंगे तथा उक्त आर्बीट्रेटर द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य एवं विधिक रूप से प्रभावी होगा तथा उक्त पर दी आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सीलीएशन एक्ट, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।

24 यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार गाजियाबाद नगर स्थित मा0 न्यायालय में निहित होगा तथा प्लेस ऑफ आर्बीट्रेशन भी गाजियाबाद नगर होगा।

25. अनुबन्धकर्ता को Vehicle Free Zone में किसी प्रकार का स्वामित्व अथवा पदाधिकार प्राप्त नहीं होंगे तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि उसे केवल प्रयोग करने का लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है जो किसी भी समय संतोषजनक स्थिति न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विवेकानुसार निरस्त किया जा सकता है, जिसके विरुद्ध अनुबन्धकर्ता को किसी चुनौती का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

26. अनुबन्धकर्ता को Vehicle Free Zone में प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के निर्माण/परिवर्तन आदि का अधिकार नहीं होगा।

27. उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को अनुबन्ध निष्पादन से पूर्व पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति तथा जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा।

28. अनुबन्धकर्ता को लेबर सम्बन्धी समस्त नियमों का पालन करना होगा।

29. प्राधिकरण के कर्मचारी/अधिकारी किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

30. अनुबन्ध में स्थल का मानचित्र संलग्न किया जायेगा। दर्शित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी क्षेत्र में अनुबन्धकर्ता द्वारा कोई कार्य (Activity) नहीं किया जायेगा।

31. निर्धारित अवधि तक देय धनराशि जमा न किये जाने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।